



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 303]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जुलाई 4, 2002/आषाढ 13, 1924

No. 303]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 4, 2002/ASADHA 13, 1924

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2002

सा.का.नि. 470(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विलायक, रेफिनेट और स्लाप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 में संशोधन करने के लिए निम्न आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम विलायक, रेफिनेट और स्लाप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) संशोधन, आदेश, 2002 है।

(2) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. विलायक, रेफिनेट और स्लाप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 में खंड 3 उप-खंड (1) में परन्तुक के स्थान पर निम्न परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह तब जबकि ऐसा कोई लाइसेंस मिश्रित अनुसूची में सूचीबद्ध विलायकों की 50 किलो लीटर प्रति माह पर इससे कम की खपत और किसी दिए गए समय में 20 किलोलीटर या इससे कम के स्टॉक के लिए आवश्यक नहीं होगा।”

[फा. सं. पी-11013/1/2002-वितरण]

एस. विजयराघवन, संयुक्त सचिव

पाठ टिप्पण : मुख्य आदेश भारत सरकार के असाधारण राजपत्र के भाग II, खण्ड 3(i) में दिनांक 5 जून, 2000 के सा.का.नि. 519(अ) के द्वारा प्रकाशित किया गया था और बाद में दिनांक 21 नवम्बर, 2001 के सा.का.नि. 856(अ) के द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

ORDER

New Delhi, the 2nd July, 2002

G.S.R. 470(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order to amend the Solvent, Raffinate and Slop (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of Use in Automobiles) Order, 2000 namely :

1. (1) This Order may be called the Solvent, Raffinate and Slop (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of Use in Automobiles) Amendment Order, 2002.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Solvent, Raffinate and Slop (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of Use in Automobiles) Order, 2000, in clause 3 sub-clause (1), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

“Provided that no such licence shall be required for consumption of 50 Kilo litres per month or less and stock at a given time of 20 Kilo litres or less of solvents listed in the Schedule combined.”

[F. No. P-11013/1/2002-Dist.]

S. VIJAYARAGHAVAN, Jt. Secy.

Footnote :—The principal order was published in Part II, Section 3(i) of the Gazette of India, Extraordinary vide G.S.R. 519(E) dated 5th June, 2000 and subsequently amended vide G.S.R. 856(E), dated 21st November, 2001.